**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰**
**प्रकरण संख्या 140/2017 (उदयपुर डिक्री)**

1. वालूराम पिता दल्ला जी डांगी, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती हीरा बाई पुत्री दल्ला जी डांगी, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती पन्नी बाई पुत्री दल्ला जी डांगी, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. टमू बाई पुत्री दल्ला जी डांगी, निवासी भलों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

**बनाम**

1. हीरालाल पिता भग्गा जी डांगी, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मोहनी पुत्री भग्गा जी डांगी, निवासी लकड़वास, हाल निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती देउ पुत्री भग्गा जी डांगी, निवासी लकड़वास, हाल निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती पुषीया पुत्री भग्गा जी डांगी, निवासी लकड़वास, हाल निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मीरा पुत्री भग्गा जी डांगी, निवासी लकड़वास, हाल निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती कन्नी पुत्री टेका जी डांगी, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती डायली पुत्री लालू जी डांगी, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती गमेरी पुत्री लालू जी डांगी, निवासी लकड़वास, हाल निवासी भैसडा खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती शांति बाई पत्नी स्व. लालू जी डांगी, निवासी लकड़वास, हाल निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:23 IST
Reason: SelfAttested

10.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
10–06–2017 प्रकरण संख्या 22/13

———/———

उपस्थित :– 1– श्री काशीराम मेघवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री प्रवीण पुरोहित अभिभाषक रे. सं. 6, 7, 9
4– श्री दीपक बया अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 8
5– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

**निर्णय** **दिनांक 25–04–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण की माता श्रीमती दौली ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लकड़वास में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात स्थित हैं, जिसके साबिक आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार थे। वाद वर्णित आराजियात में पूरा पिता मोती डांगी का हक हिस्सा था, जो उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रों उंकार, रूपा व वादिया के पिता उदा जी डांगी को विरासत से प्राप्त हुई। उदा का देहावसान हो चुका है तथा उसकी पत्नी ऐजी बाई का भी देहावसान हो चुका है तथा वादिया उदा की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। इसी प्रकार उंकार की मृत्यु हो चुकी है, जिसके पुत्र लालू, केवला, माना थे, जिनमें से माना व केवला लाऔलाद फोत हुए तथा लालू का देहावसान होकर प्रतिवादी संख्या 3 से 5 उसके वारिस हैं। इसी प्रकार रूपा का देहावसान होकर उसका पुत्र टेका व प्रतिवादी संख्या 1 भगा डांगी है। टेका का देहावसान होकर प्रतिवादी संख्या 2 उसका वारिस है। पूरा डांगी का शजरा वाद पत्र की कलम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:23 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 4 अनुसार है। उदा जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने आपसी मिलीभगत से उक्त आराजियात में उदा के हिस्से को दिनांक 18–01–1985 को भाई व भतीजे के नाम नामान्तरित करवा लिया, जबकि उदा की पत्नी एजी बाई व वादिया दौली उदा जी की विधिक वारिस होकर उदा के हिस्से की भूमि पर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। प्रतिवादीगण ने उदा के हिस्से की जो भूमि अपने नाम दर्ज करवाई है वह वादिया के मुकाबले अवैध व शून्य प्रभावी है। अतः वादिया का वाद स्वीकार कर उदा की हिस्से की आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 10–06–2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–08–2017 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्टगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना वाद पत्र का अवलोकन किया वाद खारिज किया है, क्योंकि वाद पत्र में वादीगण का हक हिस्सा निहित होना अंकित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेशिका में देवीलाल नामक व्यक्ति को प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होना अंकित किया है, किन्तु देवीलाल प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है अथवा नहीं इसके प्रमाणित नहीं किया है एवं न ही देवीलाल उक्त वाद में पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र देवीलाल के कथनों के आधार पर अपीलार्थी/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:23 IST
Reason: SelfAttested

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि स्वयं वादी/अपीलान्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण का कब्जा होने का कथन किया है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं वादी/अपीलान्ट संख्या 1 वालूराम ने उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादीगण का हिस्सा एवं कब्जा होने का कथन किया है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का वाद खारिज किया है। अब अपीलान्टगण का यह कथन कि देवीलाल नामक व्यक्ति के कथनों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का वाद खारिज किया है, उचित प्रकट नहीं होता है, क्योंकि स्वयं अपीलान्ट संख्या 1 वालूराम के आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 10–06–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:23 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.......**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ................................**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** ......................................

**वालूराम पिता दल्ला जी डांगी, नि0 लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य** बनाम **हीरालाल पिता भग्गा जी डांगी, नि0 लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰......**140 / 2017**............व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**...
........**गिर्वा**........... मुकाम................मुवर्खे.............**10**..............माह..............**06**............**2017**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**25**....माह........**04**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री काशीराम मेघवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री ओंकारलाल डांगी**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 10–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ...................................अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**25**.......माह.......**04**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ......... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा... | | |
| 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... | | | 2. स्टाम्प अर्जी ............... | | |
| 3. इजराय हुक्मनामा ....... | | | 3. इजराय हुक्मनामा ..... | | |
| 4. वकील फीस बाबत ......... | | | 4. मेहनताना वकील.......... | | |
| मीजान ..... | | | मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर [illegible] का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:23 IST
Reason: SelfAttested